शीर्ष प्राथमिकता/ई–मेल भी
संख्या–पुन-305(1)/आठ–8–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 10 मई, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41(3) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा–15 तथा विशेष क्षेत्र अधिनियम 1986 की संगत धाराओं के अन्तर्गत शासन स्तर पर लम्बित पुनरीक्षणवादों की सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 41(3), उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा–15 तथा विशेष क्षेत्र अधिनियम–1986 की संगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्रों के आदेशों के विरूद्ध शासन में पुनरीक्षणवाद योजित किये जाते है। शासन में योजित पुनरीक्षणवादों में समस्त पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अभिलेखों के सम्यक परिशीलन के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिये जाते है।

2– शासन के अभिलेखानुसार लगभग–550 पुनरीक्षणवाद निस्तारित किये जा चुके है, परन्तु अभी लगभग–733 पुनरीक्षणवाद लम्बित है। शासन स्तर पर दाखिल पुनरीक्षणवादों की अद्यावधिक प्रस्तरवार आख्या, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रभावी पैरवी के अभाव एवं प्रायः सुनवाई की निर्धारित तिथि पर पक्षों के उपस्थित न होने के कारण पुनरीक्षणवादों का त्वरित निस्तारण संभव नहीं हो पा रहा है। आप अवगत हैं कि शासन में लम्बित पुनरीक्षणवादों का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकता है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुनरीक्षणवादों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही **तत्काल** करने का कष्ट करें :–

(1) समस्त अभिकरण अपने यहां सचिव/अपर सचिव स्तर के अधिकारी को पुनरीक्षणवाद से संबंधित कार्यो हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

(2) उक्त नोडल अधिकारी पुनरीक्षणवादों से संबंधित प्रकरणों में अद्यतन प्रस्तरवार आख्या शासन को एवं पुनरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रस्तरवार आख्या के क्रम में पुनरीक्षणकर्ता से उसका जवाब (यदि कोई हो) शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः...........2

(3) शासन में लम्बित पुनरीक्षणवादों की प्रति यदि अभिकरण में उपलब्ध न हो तो पुनरीक्षणकर्ता से अथवा शासन में उपलब्ध अभिलेखानुसार किसी भिज्ञ अधिकारी के माध्यम से किसी कार्य दिवस में शासन से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) समस्त अभिकरण नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, ई–मेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक–लम्बित पुनरीक्षणवादों की सूची।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/ई–मेल भी

संख्या–पुन-304(1)/आठ–8–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 10 मई, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41(3) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा–15 तथा विशेष क्षेत्र अधिनियम 1986 की संगत धाराओं के अन्तर्गत शासन स्तर पर लम्बित पुनरीक्षणवादों की सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 41(3), उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा–15 तथा विशेष क्षेत्र अधिनियम–1986 की संगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्रों के आदेशों के विरूद्ध शासन में पुनरीक्षणवाद योजित किये जाते है। शासन में योजित पुनरीक्षणवादों में समस्त पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अभिलेखों के सम्यक परिशीलन के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिये जाते है।

2– शासन के अभिलेखानुसार लगभग–550 पुनरीक्षणवाद निस्तारित किये जा चुके है, परन्तु अभी लगभग–733 पुनरीक्षणवाद लम्बित है। शासन स्तर पर दाखिल पुनरीक्षणवादों की अद्यावधिक प्रस्तरवार आख्या, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रभावी पैरवी के अभाव एवं प्रायः सुनवाई की निर्धारित तिथि पर पक्षों के उपस्थित न होने के कारण पुनरीक्षणवादों का त्वरित निस्तारण संभव नहीं हो पा रहा है। आप अवगत हैं कि शासन में लम्बित पुनरीक्षणवादों का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकता है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुनरीक्षणवादों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही **तत्काल** करने का कष्ट करें :–

(1) समस्त अभिकरण अपने यहां सचिव/अपर सचिव स्तर के अधिकारी को पुनरीक्षणवाद से संबंधित कार्यो हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

(2) उक्त नोडल अधिकारी पुनरीक्षणवादों से संबंधित प्रकरणों में अद्यतन प्रस्तरवार आख्या शासन को एवं पुनरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रस्तरवार आख्या के क्रम में पुनरीक्षणकर्ता से उसका जवाब (यदि कोई हो) शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः.....2

(3) शासन में लम्बित पुनरीक्षणवादों की प्रति यदि अभिकरण में उपलब्ध न हो तो पुनरीक्षणकर्ता से अथवा शासन में उपलब्ध अभिलेखानुसार किसी भिज्ञ अधिकारी के माध्यम से किसी कार्य दिवस में शासन से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) समस्त अभिकरण नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, ई–मेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक–लम्बित पुनरीक्षणवादों की सूची।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।